FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0069 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/05/2024 20:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 01/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:40 बजे **Time To (समय तक):** 20:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/05/2024 **Time (समय):** 20:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/05/2024 20:28:19 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 95 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** 01, BUDH VIHAR, UIT GOVT QUATER, ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PURAN SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DHIR SINGH RAJPUT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SOHAN PUR, MALAKHERA ALWAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SOHAN PUR, MALAKHERA ALWAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9950073416

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH KUMAR		पिता:BALVEER SINGH	1. KALAKARI,BHUHANA JHUNJHUNU,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि	3,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ईकाई अलवर -द्धितिय भिवाडी विषयः-रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने हेतु महोदय, निवेदन है कि मै पूर्ण सिह नरूका जो एक शराब की दुकान पर हेड के तोर पर तथा दुकान से समबधीत सभी कार्य मेरे द्वारा ही किये जाते है जिसके लिये ठेके मालीक ने अधिकृत कर रखा है। हमारी शराब का ठेका देशी मदिरा कम्पोजिट शॉप ग्राम पं0 जमालपुर मै श्री अतर सिंह पुत्र कृपाराम जाति गुर्जर निवासी गुजरवास जिला अलवर के नाम से लाईसैनसी है जो पिछले 2 वर्षो से चल रही है जिसका 1/4/2024 से लाईसेनस नवीनीकरण हो गया है मै ही आबकारी विभाग से समबन्धीत सभी कार्य करता हूं इसी समबध में दिनांक 29/4/2024 को D.E.O श्री सुरेश कुमार साहब से हमारी शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करवाने हेतु उनसे उनके कार्यालय में मिला तब उन्होने मुझसे गोदाम की लोकेशन पास करवाने हेतु 600000/ छः लाख रूपये रिश्वत मांगी एवम मेरे से उसी समय 300000/ तिन लाख रूपये रिश्वत के ले लिय तथा हमारे साथ वालों की चार दुकानों का सही में संचालन करवाने हेतु 20000/ बिस हजार रूप्ये मासीक बदी के तोर पर रिश्वत की मांग की तथा शेष 300000/तिन लाख रूपये देने हेतु रिश्वत की मांगकर परेषान कर रहा है। तथा 300000/ तिन लाख रिश्वत के देने के बाद ही गोदाम की लोकेशन पास करने हेतु आवेदन करने को कहा है। मै ऐसे भस्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। कृप्या इनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं मेरी इससे कोई रंजीष नहीं है। तथा मेरा कोई इनसे लेन-देन बाकी नहीं है। कृप्या मेरी मदद करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- पूरन सिंह पुत्र श्री धीर सिंह ग्राम सोहनपुर तहसील मालाखेडा अलवर मो0 9950073416 दिनांक-01.05.2024 हस्ता. परमेश्वर लाल /01.05.2024, ह0 स्वतंत्र गवाह-विनोद कुमार चौधरी, राकेश कुमार दिनांक 01.05.2024,, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.04.2024 को मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल को जयपुर में राजकार्य सम्पादन के दौरान श्री महेशचन्द कानि0 चालक नम्बर 374 ने जरिये व्हाट्सएप कॉल अवगत कराया कि दिनांक 30.04.2024 को सुवह 10 बजकर 02 मिनट पर श्री अनिल कुमार यादव का मेरे मोबाईल फोन पर मिस्काल का मैसज आया क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ था मैने अपना मोबाईल फोन चार्ज कर ऑन किया तो मेरे मोबाईल में श्री अनिल कुमार के मोबाईल नम्बर 8094972100 से दो मिसकॉल दिखाई दी, जिस पर मैने अपने मोबाईल नम्बर 9929200910 से श्री अनिल कुमार यादव के मोबाईल नम्बर 8094972100 पर कॉल किया तो उसने मुझे अवगत कराया कि मेरी शराब के ठेके में पार्टनरषिप है तथा मेरे साथ दूसरे ठेके पर काम करने वाला श्री पूरन सिंह है जिसने मुझे बताया है कि उनके शराब ठेके के गोदाम की लोकेशन पास करने की एवज में जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेश कुमार ने 6 लाख रूपये की रिश्वत मांग कर 3 लाख रूपये दिनांक 29.04.2024 को ले लिये और शेष 3 लाख रूपये की और मांग कर रहा है जिसमें हम उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहते है। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री महेश चन्द कानि0 चालक एवं राजवीर सिंह कानि0 जो पूर्व से टोलफ्री नम्बर 1064 पर प्राप्त शिकायत की गोपनीय कार्यवाही हेतु मय वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित अलवर में उपस्थित है को दिनांक 01.05.2024 को प्रातः 09.30 एएम पर परिवादी श्री पूरन सिंह को लेकर आरआर कॉलेज के पास अलवर पर आने को कहा गया तथा दिनांक 01.05.2024 को समय 09.20 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक आर आर कॉलेज के पास पहुंचा एवं परिवादी एवं राजवीर सिंह कानि0 व श्री महेशचन्द कानि. चालक का इन्तजार किया। समय 09.40 एएम पर श्री राजवीर सिंह कानि0 व महेशचन्द कानि0 चालक मय परिवादी के मन पुलिस उप अधीक्षक के पास आर.आर. कॉलेज के पास अलवर में उपस्थित आये, जहां पर परिवादी को मेरे द्वारा अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पूरन सिंह पुत्र श्री धीर सिंह ग्राम सोनपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर होना बताते हुये श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर को रिश्वत मांगने पर उसे रंगे हाथों पकडवाने हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र मन पुलिस उप अधीक्षक के नाम संबोधित कर प्रस्तुत किया तथा साथ में देशी व अग्रेजी शराब की दुकान शॉप समूह ग्राम जमालपुर लाईसेंसधारी श्री अतर सिंह पुत्र श्री कृपाराम गुर्जर निवासी गुजरवास जिला अलवर का टाईप शुदा अधिकृत प्रमाण पत्र हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत किया गया। परिवादी श्री पूरन सिंह से उस द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित व हस्ताक्षरषुदा होना बताते हुये अंकित तथ्य सही होना बताया तथा बताया कि मेरी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर से कोई रंजिष नहीं है और ना ही कोई रूपये पैसे का लेन-देन बकाया है। मै यह कार्यवाही किसी के कहने आदि पर नहीं बल्कि स्वयं की स्वेच्छा

से सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सरकारी काम को करने में रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं उससे की गई पूछताछ आदि से मामला रिश्वत राशी की मांग का होना पाया जाने पर समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री पूरन सिंह की आरोपी श्री सुरेश कमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर से रिश्वत मांग के संबंध में होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड हेतु डिजीटल वॉईस रिकार्डर बरंग काला जो पूर्व में श्री सतीष कुमार हैड कानि0 से कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर उसमें नया सैल, एवं 32 जीबी मैमारी कार्ड डालकर महेशचन्द कानि0 चालक एवं श्री राजवीर सिंह कानि0 द्वारा प्राप्त कर दीगर गोपनीय कार्यवही हेतु अलवर लेकर आये हुये से प्राप्त कर उक्त वाईस रिकॉर्डर को मैमोरी कार्ड डले सहित चालू कर सभी फोल्डर खाली होना सुनिश्चित कर उक्त टेप रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने का तरीका परिवादी व राजवीर सिंह कानि0 को बताया जाकर श्री राजवीर सिंह कानि0 को जरिये फर्द सुपुर्द कर उसे परिवादी के हमराह परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार उसके बताये हुये गन्तव्य स्थान पर जाकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये को चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर के पास उसके सरकारी आवास पर भेजकर उसके द्वारा की जा रही रिश्वत राशी की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर परिवादी को श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 के हमराह परिवादी द्वारा लाई हुई उसकी सिफ्ट कार से रवाना किया गया जो उसी रोज समय 11.00 एएम पर आरआर कॉलेज सर्किल के पास मन पुलिस उप अधीक्षक के पास आये जहां पर परिवादी ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मै और श्री राजवीर सिंह कानि0 दोनो मेरी कार से रवाना होकर बुध बिहार अलवर स्थित यूआईटी के सरकारी आवासों के पास रोड पर पहुंचे जहां पर रोड के साईड में कार को रोक कर कार के अन्दर ही राजवीर सिंह कानि0 ने अपने पास से टेप रिकार्डर कार्ड डले सहित निकालकर चालू कर अपनी आवाज भरकर एवं मेरा नाम बुलाकर चालू हालत में मुझे दे दिया जिसको मैने अपने पास रख लिया और कार से उतर कर आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी के सरकारी आवास पर चला गया तथा राजवीर सिंह कानि0 कार के अन्दर ही बैढा रहा। श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी साहब मुझे अपने आवास के अन्दर मिले जिनसे मैने ग्राम पंचायत जमालपुर स्थित कम्पोजिट शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करने के संबंध में बातचीत तो उन्होने मुझसे उक्त शराब की दुकान के लोकेशन को पास करने के बदले में 6 लाख रूप्ये रिश्वत राशी एवं पांच दुकानों की मन्थली 20 हजार रूपये की मांग की एवं 3 लाख रूपये पूर्व में लेना स्वीकार करते हुये शेष राशी 3 लाख रूपये आज ही रात्रि के साढे आठ बजे अपने सरकारी आवास पर लेकर आने के लिये कहा है मैने उनसे हुई सभी वार्ताओ को टेप रिकार्डर में कर लिया और बार्ता करने के बाद वापस राजवीर सिंह के पास आया और कार के अन्दर बैढकर राजवीर सिंह को चालू हालत में टेप रिकार्डर दे दिया जिसको राजवीर सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया, उसके बाद मैने राजवीर सिंह को सारी बातं बता दी फिर हम दोनो वहां से रवाना होकर वापस आये है। इसके बाद श्री राजवीर सिंह ने पूछने पर परिवादी के कथनों को सही बताया एवं अपने पास से विभागीय वॉईस रिकार्ड मैमोरी कार्ड डले सहित मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया, जिसमें रिकार्ड वार्ता को लैपटोप की मदद से चालू कर ईयरफोन की मदद से सरसरी तौर पर सुना तो आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर द्वारा परिवादी से रिश्वत राशी की मांग किये जाने की पुष्टि हुई। उक्त वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये को उसी हालत में मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे में बिना छेड-छाड किये रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट व डीवीडीयां स्वतंत्र गवाहान तलब कर उनके सामने तैयार किये जाने हेतु सुरक्षित रखा गया तथा अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु आरआर कॉलेज के पास उपयुक्त स्थान नहीं होने से मन पुलिस उप अधीक्षक मय वाईस रिकार्डर एवं राजवीर सिंह को हमराह लेकर जरिये वाहन आरआर कॉलेज के पास से रवाना मुनफेद के फार्म हाउस स्थित ढाई पेडी अलवर के लिये रवाना हुआ तथा परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशी का इन्तजाम कर शीघ्र ही मुनफेद के फार्म हाउस स्थित ढाई पेडी अलवर पर हाजिर होने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा श्री महेशचन्द कानि. चालक को श्री साहिब सिंह एएसआई व श्री लल्लूराम एवं रवि कुमार कानि0 को मय ट्रेप बौक्स आदि सामग्री सहित एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय हाल भिवाडी से लेकर आने हेतु जरिये सरकारी वाहन रवाना भिवाडी किया गया तथा समय 11.30 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी एवं राजवीर सिंह कानि0 के हमराह मय वाईस रिकार्डर जरिये वाहन ढाई पेडी अलवर स्थित मुनफेद के फार्म हाउस पर आया एवं मुकीम हुआ तथा श्री अजय कुमार एएसआई एसीबी करौली को ट्रेप कार्यवाही में वास्ते इमदाद भिजवाये जाने बाबत उच्चधिकारियों को निवेदन कर स्वीकृति प्राप्त कर उक्त एएसआई को अलवर आने हेतु जरिये मोबाईल सूचित किया गया एवं श्री सतीश कुमार हैड कानि0 को जयपुर से सीधे ही अलवर आने हेतु जरिये मोबाईल पाबन्द किया गया। इसके बाद समय 11.50 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री पूरन सिंह मन पुलिस उप अधीक्षक के पास ढाई पेडी अलवर स्थित मुनफेद के फार्म हाउस पर उपस्थित आया और बताया कि मै आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 3 लाख रूपये साथ लेकर आया हूं परिवादी को बैठाया गया तत्पश्चात समय 12.05 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलवर को पृथक से तहरीर जारी कर श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 को कार्यालय जिला अल्पसंख्यक

कल्याण अधिकारी अलवर जरिये प्राईवेट वाहन रवना किया गया जो समय 01.25 पीएम पर कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलवर से दो कार्मिक साथ लेकर मन पुलिस उप अधीक्षक के पास उपस्थित आया उक्त दोनो कार्मिकों से उनके नाम पते मय मोबाईल नम्बर सहित पूछे तो उन्होने अपना नाम क्रमशः विनोद कुमार चौधरी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलवर व राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलवर होना बताया तत्पश्चात दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री पूरन सिंह से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2024 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में गवाहान के द्वारा परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये। इसके बाद समय 03.00 पीएम पर पाबन्द शुदा श्री साहिब सिंह एएसआई मय रविकुमार कानि0 352 व श्री लल्लूराम कानि0 487 जरिये सरकारी वाहन मय कानि0 चालक श्री महेशचन्द के मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप आदि सामग्री के लेकर मन पुलिस उप अधीक्षक के पास ढाई पेडी अलवर स्थित मनफेद के फार्म हाउस पर उपस्थित आये । इसके बाद समय 03.10 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे से वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी एवं आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी के मध्य दिनांक 01.05.2024 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को विभागीय लेपटोप की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेविल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परिवादी से 3 लाख रूपये रिश्वत राशी की मांग करना पाया गया। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि0 से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं में परिवादी श्री पूरन सिंह द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया तत्पश्चात उक्त वार्ता की डी.वी.डी बनवाने हेतु तीन खाली डी.वी.डीयों मेक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की जरिये कानि0 राजवीर सिंह विभागीय लेपटोप की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडीयां तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर डीवीडीयों पर क्रमशः मार्क ए-1, ए-2 एवं ए-3 अंकित किया गया। मार्क शुदा डीवीडीयों पर दोनों गवाहान व परिवादी पूरन सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मार्क शुदा डी.वी.डी-ए-1 व ए-2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवरों में सुरक्षित रखकर, कवर सहित डीवीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का अंकित किया जाकर सील्ड मैहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा डी.वी.डी ए-3, को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनषील्ड रखा गया, उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडीयां बनाई गई उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई तत्पश्चात समय 05.40 पीएम पर पाबन्द शुदा श्री अजय कुमार एएसआई एसीबी करौली व श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 मन पुलिस उप अधीक्षक के पास उपस्थित आये। इसके बाद समय 05.55 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक के मांगने पर परिवादी श्री पूरन सिंह ने आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 500-500 रूपये के 600 नोट कुल तीन लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकषी एवु सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री रवि कुमार कानि0 नम्बर- 352 से हमराह कार्यालय से साथ लाई हुई फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर श्री रवि कुमार कानि0 नम्बर- 352 से एक साफ अखवार पर निकलवाकर 3,00,000/- रूपये के नम्बरी नोटो फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया,उक्त नोटो को एक लाल रंग के केरी बैग में रखवाकर उक्त केरी बैग के उपर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री पूरन िंसह की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कुमार चौधरी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री रवि कुमार कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 3,00,000/-रूपये के नोट लाल रंग के कैरीबैग में रखे सहित परिवादी श्री पूरन सिंह को सुपुर्द किये जाकर परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मोबाईल फोन से मिस कॉल करने का रिश्वत प्राप्ति का ईशारा बताया गया साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि यथा सम्भव परिवादी व आरोपी सुरेश कुमार जिला आबकारी

अधिकारी के मध्य में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री राजवीर कानि. से गाडी में रखे हुये एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास को निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गाडी के अन्दर रखे हुये ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री राकेश कुमार से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रवि कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्री रवि कुमार कानि0 से अलग रखवाई गईं तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में राजवीर सिंह कानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री रवि कुमार कानि0 से गिलास के धोवन को बाहरं फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार एवं पारदर्षी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को सावुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को राजवीर सिंह कानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, राजवीर सिह कानि, के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादी पूरन सिंह को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्य तथा मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री पूरन सिंह को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया जाकर आवष्यक हिदायत दी गई, एवं श्री रवि कुमार कानि0 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित यथावत स्थान पर रहने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी वॉईस रिकार्डर तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद समय 07.50 पीएम पर स्टाफ सदस्यें के हाथों को सावुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री पूरन सिंह को उसके द्वारा लाई हुई सिफ्ट कार से मय कानि0 राजवीर सिंह एवं गवाह श्री राकेश कुमार एवं कानि0 श्री लल्लूराम सहित आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल मय स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार एवं स्टाफ सदस्य श्री साहिब सिंह एएसआई व श्री अजय कुमार एएसआई व श्री सतीष कुमार हैड कानि0 को मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय पिं्रटर आदि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन स्वयं ड्राईविंग करता हुआ साथ लेकर ढाई पेडी अलवर स्थित मुनफेद के फार्म हाउस से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर के सरकारी आवास स्थित बुध बिहार अलवर के लिये रवाना हुआ, फार्म हाउस पर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रवि कुमार कानि0 352 को बाद हिदायत छोडा गया। इसके बाद समय 08.10 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के बुध बिहार अलवर स्थित यूआईटी के सरकारी आवासों के पास रोड पर पहुंचा जहां पर परिवादी पूरन सिंह व राजवीर सिंह कानि0, स्वतंत्र गवाह एवं कानि0 लल्लूराम सहित सिफ्ट कार सहित खडे मिले, मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्राईवेट वाहन को वहीं पर खडा कर परिवादी श्री पूरन सिंह को उसकी कार से स्वतंत्र गवाहान व राजवीर सिंह कानि0 व श्री लल्लूराम कानि0 को उतार कर रिश्वत राशी आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर को उसकी मांग अनुसार दिये जाने हेतु उसके सरकारी आवास बुध बिहार के लिये कार सहित रवाना किया गया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्टाफ सदस्यों एवं गवाहान से आपस में सम्पर्क रखते हुये परिवादी के अगले ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। परिवादी अपनी कार से रवाना होकर बुध बिहार अलवर स्थित आरोपी सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर के आवास के बाहर पहुंचा एवं अपनी कार को उक्त आवास के बाहर खडी कर उक्त आवास के मैन गेट पर पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति खडा मिला जो परिवादी को लेकर अन्दर चला गया। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्टाफ एवं गवाहान के उक्त सरकारी आवास के आस-पास अपने आपको छिपाते हुये ईधर-उधर खडे होकर परिवादी के अगले ईशारे का इन्तजार करने लगा। इसके बाद समय 08.45 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री पूरन सिंह ने सरकारी आवास यूआईटी मकान नम्बर 01 बुध बिहार अलवर के मैनगेट से अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा किया जिसे मन पुलिस उप अधीक्षक एवं गवाहान व समस्त जाप्ता द्वारा देखा गया तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को लेकर परिवादी के पास मैनगेट पर पहुंचा तथा परिवादी से उसे सुपुर्द शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात परिवादी ने गवाहान के सामने मन पुलिस उप

अधीक्षक को बताया कि श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अपने उक्त सरकारी आवास के अन्दर है और उन्होने मुझसे 3,00,000/-रूपये मांग कर अन्दर खडी हुई स्वयं की कार नम्बर आरजे-45 सी.एन. 8599 का स्वयं के द्वारा चाबी से गाडी का लॉक खोलकर एवं पीछे का गेट खोलकर पिछली सीट के नीचे गेट के पास पायदान पर रखवाकर गाडी लॉक कर चाबी अपने साथ लेकर एवं मुझे भी अपने साथ लेकर अपने कमरे में चले गये और मेरे कार्य सम्बन्धित बातें की है, वह मकान के अन्दर ही है। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान एवं पार्टी सदस्यों एवं परिवादी को हमराह लेकर उक्त मकान के अन्दर प्रवेंष किया तो उक्त मकान के अन्दर से एक व्यक्ति टी-षर्ट एवं लोवर पहने चष्मा लगाये हुये बरामदा में आया जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर है। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति अहीर उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम कलाकरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू हाल निवासी द्वितीय/52 गांधी नगर गर्ल्स स्कूल के पास जयपुर हाल आवाद सरकारी आवास यूआईटी मकान नम्बर 01 बुध बिहार अलवर हाल जिला आबकारी अधिकारी अलवर होना बताया जिससे परिवादी से प्राप्त की गई 3 लाख रूपये रिश्वत राशी प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि-मै इस पूरन सिंह को जानता हूं क्योकि यह दो तीन बार मेरे ऑफिस में आया था तब इस पूरन सिंह ने मुझे कहा कि साहब मुझे आपसे कुछ काम है मै आपसे मिलना चाहता हूं, आज दिनांक 01.05.2024 को यह पूरन सिंह सुवह करीब 10-11 बजे के आस पास मेरे पास इस सरकारी आवास पर आया था और मुझे इसने कहा था कि साहब मुझे मेरी जमालपुर स्थित कम्पोजिट शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करवानी है, जिस पर मैने कहा कि आपकी उक्त दुकान का प्रकरण मेरे पास नहीं आया है। प्रकरण मेरे पास आने पर मै आपकी दुकान के गोदाम की लोकेशन पास कर दूंगा, यह पूरन सिंह मुझसे कुछ बोलना चाह रहा था मैने कहा ठीक है आप जाओं आपका काम कर दूंगा। मेरे द्वार इस पूरन सिंह से कोई किसी प्रकार की रिश्वत राशी की मांग नहीं की थी उसके बाद आज अभी कुछ समय पहले इस पूरन सिंह ने अपने मोबाईल नम्ब 9950073416 से मेरे मोबाईल नम्बर 9660409999 पर फोन कर कहा कि मै आपसे मिलना चाहता हूं तो मैने कहा कि मेरे क्वाटर पर आ जाओ जिस पर यह पूरन सिंह मेरे आवास पर आया और मुझे कहा कि साहब मेरा काम करना है जिस पर मैने कहा कि तेरा प्रकरण मेरे पास आने पर मै आपका काम कर दूंगा। मेरी कार में इस पूरन सिंह ने पिछला गेट खोलकर कार के अन्दर क्या डाल दिया मुझे जानकारी नहीं है, उसके बाद यह पूरन सिंह बाहर चला गया था। मैने इस पूरन सिंह से ना तो 6 लाख रूपये रिश्वत मांगी और नांही 3 लाख रूपये पहले और 3 लाख रूपये आज प्राप्त किये है। इसने मुझे ठेकेदारों की आपसी रंजिष के कारण इस मामले में गलत फसाया है। इस पर मौके पर मौजूद परिवादी पूरन सिंह से आरोपी द्वारा लिये गये उपरोक्त बचाव के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने आरोपी सुरेश कुमार के कथनों को झूठा बताते हुये बताया कि मै अतर सिंह की जमालपुर स्थित कम्पोजिट शराब की दुकान से सम्बन्धित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य किये जाते है जिसके लिये ठेके मालिक श्री अतर सिंह ने मुझे लिखित में अधिकृत कर रखा है, उक्त दुकान पिछले 2 वर्षो से चल रही है जिसका 1/4/2024 से लाईसेनस नवीनीकरण हो गया है मै ही आबकारी विभाग से सम्बन्धित सभी कार्य करता हूं इसी संबंध में दिनांक 29/4/2024 को इन क्ण्म्ण्व्ण् श्री सुरेश कुमार साहब से हमारी शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करवाने हेतु इनके कार्यालय में मिला तब इन्होने मुझसे गोदाम की लोकेशन पास करवाने हेतु 600000/ छः लाख रूपये रिश्वत मांगी एवम मेरे से उसी समय 300000/ - रूपये रिश्वत के ले लिये तथा हमारे साथ वालों की चार दुकानों का सही में संचालन करवाने हेतु 20000/-रूपये मासिक बंधी के तोर पर रिश्वत की मांग की तथा शेष 300000/-लाख रूपये देने हेतु रिश्वत की मांगकर परेषान करने लगे एवं 300000/-रूपये रिश्वत के देने के बाद ही गोदाम की लोकेशन पास करने हेतु आवेदन करने को कहा, जिस पर मैने इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने के लिये आपसे सम्पर्क कर आज दिनांक 01.05.2024 को लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर आपने आज ही मुझे अपने कानिस्टेबिल श्री राजवीर सिंह के साथ रिश्वत मॉग सत्यापन के लिए टेप रिकार्डर सहित इनके पास भेजा था तो इन्होने मुझसे हमारी कम्पोजिट शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करने की एबज में 6 लाख रूप्ये रिश्वत राशी की मांग कर 3 लाख रूपये पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार करते हुये शेष राशी 3 लाख रूपये की मांग कर आज ही रात्रि के साढे आठ बजे अपने इस सरकारी आवास पर लेकर आने की कहा था और उसी मांग के अनुसरण में अभी कुछ समय पहले मेरे द्वारा इनको फोन करने पर इन्होने मुझे अपने इस सरकारी आवास पर बुलाया जिस पर मै इनके पास आया तो ये मुझे गेट पर ही मिले गये और इन्होने अपनी कार नम्बर आरजे-45 सी.एन. 8599 जो इनके गेट के सामने ही खडी है का अपने पास मौजूद रिमोट चाबी से खोलकर उसका स्वयं द्वारा कार का पिछला गेट खोलकर राशी 3 लाख रूपये लाल रंग के कैरीबैग सहित पिछली सीट के पायदान पर रखने को कहा तब मैने 3 लाख रूपये कैरीबैग सहित कार की पिछली सीट के गेट के पास पायदान पर रखे दिये, इन्होने गेट बन्द कर रिमोट चाबी से कार को लॉक कर दिया और मुझे अपने कमरे में अन्दर लेकर आ गये और मेरे काम से सम्बन्धित बातें की इन्होने कहा कि कल प्रातः कम्पोजिटिव शराब दुकान जमालपुर के गोदाम की लोकेशन पास करवाने के लिये आवेदन कर देना मै लोकेशन पास कर दूंगा और सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक को फोन कर दूंगा। इसके बाद मैने बाहर गेट के पास से आपको रिश्वत स्वीकृति का ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर कर दिया था। मैने इनकी मांग अनुसार ही रिश्वत राशी इन्हें दी है। परिवादी के उपरोक्त कथन पर आरोपी श्री

सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकरी से पुनः पूछताछ की गई तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात बताने से मना किया। इसके बाद कार टोयटा कम्पनी गलेन्जा मॉडल नम्बर आरजे-45 सीएन-8599 के लॉक को दोनो गवाहान से चैक करवाया तो कार लॉक होना पाई गई। उक्त कार की चाबी के बारे में आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी से पूछने पर मकान में प्रवेष करते ही प्रथम कमरे के अन्दर सामने दीवर में बनी आलमारी में रखी होना बताई। कार की रिमोट चाबी दीवार में बनी आलमारी पर रखी होना पाई। कार की रिमोट चाबी को आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी से उठवाकर रिमोट चाबी से कार का लॉक खुलवाया जाकर कार के ड्राईवर सीट के पीछे वाला दाहिना साईड का पिछला गेट गवाह श्री विनोद कुमार चौधरी से खुलवाया गया तो कार के अन्दर ड्राईवर सीट के पीछे पायदान रंग काला पर लाल रंग का कैरीबैग रखा होना पाया जिसे उक्त गवाह से उठवाकर कैरीबैग को चैक करवाया तो उक्त केरीबैग के अन्दर 500-500 रूपये की छः गड्डिया रखी होना मिली जिसकी राजवीर सिंह कानि0 के जरिये उसके मोबाईल फोन से बीडियोग्राफी कराई गई। उक्त बरामद शुदा नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये, नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाकर बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 600 नम्बरी नोटों की छः गडडियां कुल तीन लाख रूपये रिष्वती नोटों को वापस उसी लाल रंग के कैरीबैग में रखवाकर कैरीबैग के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कैरीबैग को नोटों सहित एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील्ड मोहर कर मार्क-आर अंकित कर थैली के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात् कार के पिछली सीट के पायदान को कार से बाहर निकलवाया गया तत्पश्चात एक प्लास्टिक का पारदर्षी डिसपोजल गिलास ट्रेप बोक्स से निकलवाकर पानी से साफ करवाया जाकर उसमें उक्त आवास में रखी पानी से भरी बोतल में से साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला उक्त गिलास के घोल में रूई के फोये की सहायता से पायदान बरंग काला के उस स्थान को जहां से रिश्वत राशी बरामद हुई को धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर शीशीयों पर चिट चस्पा कर मार्क-पी-1, पी-2 अंकित कर शीशीयों को सील्ड मोहर कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा पायदान के धुलाई किये हुये स्थान का कैची से कटवाकर उक्त पायदान बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर मार्क-पी अंकित कराकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद उक्त कार नम्बर आरजे-45 सीएन 8599 की तलासी दोनो गवाहान से लिवाई गई तो उक्त कार के अन्दर अन्य कोई संदिग्ध राशी व दस्तावेज आदि नहीं मिले। इसके बाद आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी से परिवादी के जमालपुर स्थित कम्पोजिट शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करने से सम्बन्धित रिकार्ड के बारे में पूछा गया तो आरोपी सुरेश कुमार ने स्वयं के पास कोई प्रकरण नहीं होना बताया। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री पूरन सिंह से प्राप्त शुदा वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो वाईस रिकॉडर में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी व परिवादी श्री पूरन सिंह को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिष या दुष्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया, । इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नं. 03 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद समय 11.50 पीएम पर हस्त तलबिदा श्री नरेन्द्र कुमार एएसआई मय श्री भास्कर हैड कानि. एसीबी चौकी अलवर प्रथम से वास्ते इमदाद मौके पर उपस्थित आये तत्पश्चात दिनांक 02.05.2024 को समय 12.05 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कमार एएसआई, श्री भास्कर हैड कानि0 व श्री राजवीर सिंह कानि0 के मय आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी के जरिये प्राईवेट वाहन मय लेपटोप आदि सामग्री के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अलवर स्थित जिला आबकारी अधिकारी कक्ष की खाना तलाषी हेतु रवाना कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अलवर के लिये रवाना हुआ तथा परिवादी एवं शेष स्टाफ सदस्यों को ट्रेप बौक्स मय बजह सबूत के मौके पर ही बाद हिदायत छोडा गया तथा समय करीब समय 12.15 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहएवं स्टाफ सदस्यों एवं आरोपी सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी के रवाना शुदा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अलवर पहुंचा एवं श्री सुमेर सिंह रात्रि गार्ड (ईपीएफ) से जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कक्ष के लगे हुये ताले को खुलवाकर उसकी नियमानुसार खाना तलाषी ली जाकर फर्द खाना तलाषी मुर्तिव कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये ताबाद श्री सुमेर सिंह गार्ड से उक्त कक्ष को वापस लॉक करवाया जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान जाप्ता एवं अरोपी के वहां से रवाना होकर 12.40 एएम पर घटना स्थन सरकारी आवास बुध बिहार अलवर वापस आया जहां पर समय 02.15 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की मौजूदगी में आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर को जुर्म से अवगत कराते हुये हस्व कायदा जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफतार किया गया तथा समय 02.50 एएम पर आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर द्वारा

परिवादी श्री पूरन सिंह से प्राप्त की गई रिश्वत राशी 3 लाख रूपये सरकारी आवास पर खडी हुई कार टोयटा कम्पनी गलेन्जा मॉडल नम्बर आरजे-45 सीएन-8599 बरंग ग्रे के अन्दर ड्राईवर सीट के पिछली वाली सीट के पायदान बरंग काला से बरामद होने से उक्त कार आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने मित्र से मांगकर लाया जाना बताया गया तथा स्वयं के नाम नही होना बताया। उक्त कार को मय रिमोट चाबी सहित प्रकरण में वांछित होने के कारण पृथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। इसके बाद समय 03.10 एएमः पर स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी व आरोपी सुरेश कुमार की मौजूदगी में आरोपी के उक्त सरकारी आवास मकान नम्बर 01 यूआईटी बुध बिहार अलवर की नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाषी ली गई, इसके बाद गिरफतार शुदा आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर को जाप्ता के जरिये सामान्य चिकित्सालय अलवर भिजवाया जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसके बाद समय 06.15 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्षा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये गये। इसक बाद समष् 07.00 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री पूरन सिंह एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुरेश कुमार के एवं प्रकरण में जप्त शुदा आरोपी सुरेश कुमार की कार नम्बर आरजे-45 सीएन-8599 को हमराह जाप्ता साथ लेकर एवं ट्रेप बौक्स, सरकारी लेपटोप मय पिं्रटर एवं समस्त बजह सबूत के जरिये प्राईवेट वाहनों के घटना स्थल आरोपी के सरकारी आवास यूआईटी मकान नम्बर 01 बुध बिहार अलवर से रवाना होकर समय 07.10 एएम पर एसीबी कार्यालय अलवर प्रथम पर पहुंचा जहां पर गिरफतार शुदा आरोपी सुरेश कुमार को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में बैठाया गया। इसके बाद समय 07.15 एएम पर तलविदा श्री रवि कुमार कानि0 नम्बर 352 मय फिनोफथलीन पाडउर की शीशी सहित ढाई पेडी अलवर स्थित मुनफेद के फार्म हाउस से उपस्थित एसीबी कार्यालय अलवर प्रथम आया फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कानि0 रवि कुमार के जरिये प्राईवेट वाहन के डैस्कबोर्ड में रखवाया गया एवं उक्त कानि0 के हाथ सावुन पानी से धुलवाये गये। इसके बाद समय 07.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री पूरन सिंह की उपस्थिति में परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड जिसमें वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी की आरोपी सुरेश कुमार से हुई वार्ता रिकार्ड है को लेपटोप के डेस्कटोप पर सेव कराया जाकर उक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटोप की मदद से चलाकर वार्ता को टेबिल स्पीकरों के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर फर्द ट्रासक्रिट तैयार करवाकर हिन्दी रूपान्तरण कराया गया उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री पूरन सिंह द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। उक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता की डी.वी.डीयां बनवाने हेतु तीन खाली डी.वी.डीयां मेक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की जरिये कानि0 राजवीर सिंह विभागीय लेपटोप की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडीयां तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर डीवीडीयों पर क्रमशः मार्क- बी-1, बी-2, एव ंबी-3 अंकित किया गया। मार्क शुदा डीवीडीयों पर दोनों गवाहान व परिवादी पूरन सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मार्क शुदा डी.वी.डी-मार्क बी-1 व बी-2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवरों में सुरक्षित रखकर, कवर सहित डीवीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का अंकित किया जाकर सील्ड मौहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा डी.वी.डी बी-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया । उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडीयां बनाई गई उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त कार्यवाही लेन-देन संबंधी रिकार्ड वार्ताओ के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर एक सादा कागज में लपेटकर उक्त को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे सील्ड मोहर कर मार्क एसडी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद समय 10.15 एएम पर आरोपी सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर के सरकारी आवास पर खडी कार नम्बर आरजे-45 सीएन-8599 के अन्दर ड्राईवर सीट के पिछले वाली सीट के पायदान के उपर से बरामद हुई रिश्वत राशी की श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 द्वारा स्वयं के मोबाईल फोन में की गई विडियोंग्राफी जो मोबाईल की मैमोरी में सेव है को मोबाईल फोन की मैमोरी से कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चलाकर चैक कर परिवादी व गवाहान को दिखाकर उक्त विडियोंग्राफी को तीन खाली डीबीडियों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान तीनों डीबीडियों पर मार्क सी-1 व सी-2 एवं सी-3 अंकित कराकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा डीबीडी मार्क सी-1 व सी-2 को प्लास्टिक कवरों में अलग अलग रखवाकर डीबीडियों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मोहर कर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर बजह सबूत जरिये फर्द कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीबीडी मार्क सी-3 को अनषील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया। इसके बाद समय 11.00 एएम पर टै्रप कार्यवाही में बजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना

ब्रास शील्ड नं0 03 को कानि0 लल्लूराम कानि0 487 के जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये इसक बाद ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड माल वजह सबूत को एचएम मालखाना श्री सतीष कुमार हैड कानि0 नम्बर-11 को सुरक्षित हालत में मालखाना जमा हेतु दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तत्पश्चात गिरफ्तार आ◌ारेपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर से पुनः पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट पृथक से मुतिर्ग्व कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये तथा आरोपी को खाना खिलाकर कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में रखा गया जिसे अकब से वास्ते जेसी माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर द्वारा श्री अतर सिंह पुत्र श्री कृपाराम गुर्जर निवासी गुजरबास जिला अलवर के नाम से ग्राम पंचायत जमालपुर में कम्पोजिट शराब की दुकान जिस पर लाईसेन्सी अतर सिंह द्वारा उक्त शराब की दुकान के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य करने हेतु अधिकृत परिवादी श्री पूरन सिंह पुत्र श्री धीर सिंह जाति राजपूत उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम सोहनपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर से आरोपी श्री सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी अलवर द्वारा उक्त ग्राम जमालपुर स्थित कम्पोजिट शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करने हेतु 06 लाख रूपये रिश्वत राशी की मांग कर एवं वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 01.05.2024 को 3,00,000/-रूपये रिश्वत राशी पूर्व में स्वीकार करना एवं शेष राशी 3 लाख रूपये की मांग कर उक्त मांग के अनुषरण में दिनांक 01.05.2024 को परिवादी से 3,00,000/-रूपये अपने सरकारी आवास पर मांग कर सरकारी आवास पर खडी हुई स्वयं की टोयटा कम्पनी की गलेन्जा मॉडल की कार नम्बर आरजे-45 सी.एन. 8599 की ड्राईवर साईड की पिछली सीट के नीचे गेट के पास पायदान बरंग काला पर रखवाकर प्राप्त करना एवं रिश्वती राशी स्वयं के कब्जे से उसकी कार के अन्दर से पायदान बरंग काला पर रखी होकर बरामद होना पाया गया है। अतः श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति अहीर उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम कलाकरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू हाल निवासी द्वितीय/52 गांधी नगर गर्ल्स स्कूल के पास जयपुर हाल आवाद सरकारी आवास यूआईटी मकान नम्बर 01 बुध बिहार अलवर हाल जिला आबकारी अधिकारी अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है । अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। -हस्ता- (परमेश्वर लाल) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर द्धितिय हाल भिवाडी -------कार्यवाही पुलिस-------- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय हॉल भिवाड़ी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बलबीर सिह निवासी ग्राम कलाकरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू हाल निवासी द्वितीय/52 गांधी नगर गर्ल्स स्कूल के पास जयपुर हाल आवाद सरकारी आवास यूआईटी मकान नम्बर 01 बुद्व बिहार अलवर हाल जिला आबकारी अधिकारी अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र मीणा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर - प्रथम को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई उक्त की रोजनामचा आम रपट 26 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 343-346 दिनांक 02.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस -द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय। पुलिस अधीक्षक.प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/05/2024 20:31:33

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)